

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री भावना सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 441/2015

दायर दिनांक:- 09/09/2015

निर्णय दिनांक:- 27.07.2022

उनवान

1. श्री हेमराज पिता जितू जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।

वादी

बनाम

- 1 श्री अमरचंद पिता जीतू, जाट निवासी लूणेरा, भूपालसागर।
- 2 श्री अम्बालाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 3 श्री माधवलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 4 श्री बद्रीलाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 5 मु. शंकरबाई पिता रामचन्द्र जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 6 मु. भागवन्तीबाई पिता रामचन्द्र जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 7 श्री रंगलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 8 श्री लोकाेश पिता मोहनलाल जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 9 मु. कमलाबाई बेवा मोहनलाल जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 10 मु. कमलाबाई पत्नी शंकरलाल जाट निवासी लूणेरा भूपालसागर।
- 11 तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काप्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:- 1. श्री बंशीलाल उपाध्याय वादी वकील

2. श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 3

-:निर्णय :-

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काप्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

यह है कि मौजा लूणेरा पटवार हल्का उसरोल तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 तक की संयुक्त खातेदारी कब्जे काप्त की आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बाने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.05.2018 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाडा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाडा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा-

क्र.सं	काप्तकार	आ.न.	रकबा
1	हेमराज पुत्र जीतू जाट सा. देह. खाते	424/1	1.08 है.
		753	0.36
		768	0.68
		769	0.11
		471	1.12
		1271/1	0.12
		1705	0.21
		1655/1	0.16
		1548	0.06
		1555/1	0.20
		1281	0.06

		2053	0.65
		479	0.35
2	कमला देवी पत्नी शंकर लाल जाट सा.दह खाते	1551/1	0.19
		424/2	0.80 है
3	शंकरलाल पिता अमरचंद, पारसी पुत्री अरमचंद, झमकुबाई पत्नी अमचंद जाट सा. दह	426	0.29 है
		751	0.52
4	शंकरलाल, पारस पिता अमरचंद, झमकुबाई पत्नी अमरचंद 1/3 रहन पी.एन. शाखा भूपालसागर	754	0.64
		472	0.60
		473	0.60
	अम्बालाल पुत्र रामचंद 2/21, कमलाबाई पत्नी मोहनलाल 2/63, प्यारीबाई पत्नी रामचंद 2/21, भागवन्तीबाई पुत्री रामचंद 2/21	1271/2	0.12
		1703	0.20
	माधवलाल पुत्र रामचंद 2/21, रहन बी.आर.के.जी.बी. भूपालसागर	474	0.38
	हिस्सा रंगलाल, माधवलाल पुत्र मोहनलाल 2/63 लोकेश पुत्र मोहनलाल 2/63, शंकरा बाई पुत्री रामचंद 2/21 जाट सा.दह खातेदार।	475	0.93
		1655/2	0.16
		1551	0.18
		1282	0.04
		1284	0.05
		1546	0.02
		1547	0.02
		1554	0.10
		1555/2	0.02
		1656	0.51
		1667	0.39
		1668	0.41
		1877	0.13
		1901	0.26
		1902	0.02
		1986	0.10
		1989	0.59
		1995	0.22
		1996	0.29
		1999	0.38
		2000	0.45
		2002	0.17
		2005	0.64
		2045	0.31
		2051	0.65
		2054	0.73
		2055	0.35
		415	0.45



इस आषय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
 सहायक कलेक्टर एवं
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
 उपखण्ड अधिकारी
 जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)